रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-30102026-277524
CG-UP-E-30102026-277524

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5661] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2026/कार्तिक 7, 1948
No. 5661] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2026/KARTIKA 7, 1948

रेल मंत्रालय

[उतर मध्य रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 9 सितम्बर, 2026

का.आ. 5893(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) एवम रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें पश्यत उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 के खंड (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्यात कि लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इसमें उपाब अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के अलवर जिले में आगरा फोर्ट - बांदीकुई दोहरीकरण परियोजना विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, इसे भूमि का अर्जन करने का हास्य की घोषण करती है।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा 4 के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात दैनिक भास्कर एवम राजस्थान पत्रिका में दिनांक 21 जून 2026 को प्रकाशित किया गया था।

और उक्त ग्रामों मे कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिया गए है।

और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की (उपधारा 01) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 की (उपधारा 01) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इसमे उपाब अनुसूची में विनिधिष्ट भूमि पूर्वात प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-20 ई की (उपधारा 02) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाब) अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जायेगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में आगरा फोर्ट-बांदीकुई के मध्य दोहरीकरण रेल परियोजना के लिए अलवर जिले के कठूमर तहसील में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	**तहसील का नाम**	**गाँव का नाम**	**खसरा सं.**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि का प्रकृति**	**अर्जित भूमि का क्षे0 (हेक्टेर में)**	**भू-स्वामी /हितबद्ध व्यक्तियों के नाम**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कठूमर	रिंगसपुरा	540	निजी	कृषि	0.0557	बब्बूराम उर्फ बाबूलाल पुत्र रामजीवन
			541	सरकारी	अकृषि	0.0329	बंजड़ (राजस्थान सरकार)
			491	सरकारी	अकृषि	0.0152	गै.मु.रास्ता (राजस्थान सरकार)
			490	सरकारी	अकृषि	0.0335	गै.मु.रास्ता (राजस्थान सरकार)
			489	सरकारी	अकृषि	0.0181	गै.मु.रास्ता (राजस्थान सरकार)
2	कठूमर	खेरली रेल	269/1353	निजी	कृषि	0.0311	करण पुत्र आरामी
			269/1354	निजी	कृषि	0.0224	मोहन पुत्र आरामी
			253/1361	निजी	कृषि	0.0059	पूरण पुत्र हरिया
कुल योग						**0.2148 है.**	

[फा. सं. एनसीआर-एचक्यूशून्यसीईएनजी(एलएएनडी)/6/2024-ओ/ओ डिप्टी चीफ इंजी./कन्स्ट्रक्शन-एक/एजीसी (कम्प्यूटर संख्याः 114142)]

अजीत सिंह यादव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Contruction Derahinment)]

NOTIFICATION

Prayagraj the 9th Septmber, 2026

S.O. 5893(E).— In exercise of the powers conferred by sub – section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) & Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, **" Agra Fort-Bandikui Doubling Project"** in District Alwar in the state of Rajasthan hereby declares its intention to acquire such land.

Any whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely " Dink Bhaskar " and Rajasthan Patrika" dated 21.06.2026 under sub section (4) of Section 20A of the said ACT.

Any whereas, in village not objections were received and competent Authority have passed the orders accordingly.

Any whereas, in pursuance of sub section 20 E of the said Act, the competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

A Brief description of the land with or without infrastructure in Kathumar Tehsil of Alwar district fro the Agra Fort-Bandikui doubling rail project in the state of Rajasthan.

S.N.	**Name of Tehsil**	**Name of village**	**Khasra No.**	**Type of land**	**Nature of land**	**Area of acquired land (in hectares)**	**In the name of landowners/ interested parties**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kathoomar	Ringaspura	540	Private	Agriculture	0.0557	Babburam urf Babulal, s/o Ramjeevan
			541	Govt.	Non-Agriculture	0.0329	Banjar (Rajasthan Government)
			491	Govt.	Non-Agriculture	0.0152	Gair Mumkin Rasta (Rajasthan Government)
			490	Govt.	Non-Agriculture	0.0335	Gair Mumkin Rasta (Rajasthan Government)
			489	Govt.	Non-Agriculture	0.0181	Gair Mumkin Rasta (Rajasthan Government)
2.	Kathoomar	Kherli rail	269/1353	Private	Agriculture	0.0311	Karan s/o Aarami
			269/1354	Private	Agriculture	0.0224	Mohan s/o Aarami
			253/1361	Private	Agriculture	0.0059	Pooran s/o Aarami
Total						**0.2148 hect.**	

[F. No. E- file No. NCR-HQ0CENG(LAND)/6/2024 O/o Dy. CE/C-I/AGC (Computer No. 114142)]

AJIT SINGH YADAV, Chief Administrative Officer/Const.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.10.30 17:20:19 +05'30'